न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर0ए0एस0)

अपील संख्या– 2015/00181

1. बद्रीलाल आत्मज रघुनाथ जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
2. रामनिवास आत्मज रघुनाथ जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
3. परमानन्द आत्मज रघुनाथ जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
4. रामचरण आत्मज रघुनाथ जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)। मृतक जरिये कायम मुकामान–
   4/1.रामस्वरूप आत्मज स्वर्गीय रामचरण जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेडी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
   4/2.मनीष आत्मज स्वर्गीय रामचरण जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेडी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
   4/3.दिलखुश आत्मज स्वर्गीय रामचरण जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेडी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
5. मुकेश आत्मज बद्रीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
6. चेतराम आत्मज बद्रीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
7. गिर्राज आत्मज बद्रीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
8. जोधराज आत्मज बद्रीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
9. ओमप्रकाश आत्मज बद्रीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
10. जगदीश आत्मज बद्रीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।

– अपीलांट

बनाम

1. सत्यनारायण आत्मज राम गोपाल जाति मीणा जाति मीणा निवासी अयाना तहसील दीगोद हाल रंगबाडी कोटा।

2. रामकल्याण आत्मज कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
3. रामेश्वर आत्मज कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
4. बृजमोहन आत्मज कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
5. प्रकाश आत्मज कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
6. घनश्याम आत्मज कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
7. सुरेश आत्मज कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
8. बनवारी आत्मज कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
9. महावीर आत्मज कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
10. रामदयाल आत्मज कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
11. दीनदयाल आत्मज कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
12. मृतक कंचन बाई पत्नी रामकल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।

    12/1. प्रकाश पुत्र रामकल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।

    12/2. बनवारी पुत्र रामकल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।

    12/3. घनश्याम पुत्र रामकल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।

    12/4. सुरेश पुत्र रामकल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।

    12/5. अनोख पुत्री रामकल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।

    12/6. श्यामा बाई पुत्री रामकल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।

    12/7. धूली बाई पुत्री रामकल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।

—रेस्पोण्डेन्टगण

अपील संख्या– 2015/00137

1. बद्रीलाल आत्मज रघुनाथ जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
2. रामनिवास आत्मज रघुनाथ जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
3. परमानन्द आत्मज रघुनाथ जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
4. रामचरण आत्मज रघुनाथ जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)। मृतक जरिये कायम मुकामान–

   4/1.रामस्वरूप आत्मज स्वर्गीय रामचरण जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेडी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।

   4/2.मनीष आत्मज स्वर्गीय रामचरण जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेडी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।

   4/3.दिलखुश आत्मज स्वर्गीय रामचरण जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेडी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
5. मुकेश आत्मज बद्रीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
6. चेतराम आत्मज बद्रीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
7. गिर्राज आत्मज बद्रीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
8. जोधराज आत्मज बद्रीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
9. ओमप्रकाश आत्मज बद्रीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
10. जगदीश आत्मज बद्रीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।

– अपीलांट

बनाम

1. सत्यनारायण आत्मज राम गोपाल जाति मीणा जाति मीणा निवासी अयाना तहसील दीगोद हाल रंगबाडी कोटा।
2. रामकल्याण आत्मज कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।

3. रामेश्वर आत्मज कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
4. बृजमोहन आत्मज कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
5. प्रकाश आत्मज कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
6. घनश्याम आत्मज कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
7. सुरेश आत्मज कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
8. बनवारी आत्मज कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
9. महावीर आत्मज कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
10. रामदयाल आत्मज कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
11. दीनदयाल आत्मज कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
12. मृतक कंचन बाई पत्नी रामकल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।

12/1. प्रकाश पुत्र रामकल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।

12/2. बनवारी पुत्र रामकल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।

12/3. घनश्याम पुत्र रामकल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।

12/4. सुरेश पुत्र रामकल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।

12/5. अनोख पुत्री रामकल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।

12/6. श्यामा बाई पुत्री रामकल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।

12/7. धूली बाई पुत्री रामकल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।

—रैस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस—(1). ओम प्रजापति, अभिभाषक अपीलांट की ओर से दोनो अपीलों में।

(2). रेस्पो0 संख्या 1 –बावजूद सूचना अनुपस्थित(दोनो अपीलों में)।

निर्णय **दिनांक 03.08.2023**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अपील संख्या 2015/00181 अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं अपील संख्या 2015/00137 अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दीगोद जिला कोटा के प्रकरण संख्या 430/2009 मे पारित निर्णय व डिकी दिनांक 20.02.2013 एवं आदेश दिनांक 08.07.2014 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. उक्त दोनों अपीलें एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने तथा समान पक्षकार होने से दोनो अपीलों में एक–साथ बहस सुनी जाकर उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग–अलग पत्रावली में संलग्न की जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय मे वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तथा वाद के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के कब्जे काश्त एवं खाते की आराजी खसरा नम्बर 15 रकबा 0.79 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 21 रकबा 1.87 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 191 रकबा 2.92 हैक्टेयर आराजी ग्राम जियाहेडी तहसील दीगोद जिला कोटा में स्थित है। वादी ने उक्त आराजी को पूर्व खातेदार रामनारायण पुत्र मथुरालाल जाति मीणा निवासी ग्राम जियाहेड़ी से खरीद की है तथा बाद खरीद उक्त आराजी का नामान्तरकरण संख्या 82 दिनांक 07.06.2001 से उक्त आराजी वादी के खाते दर्ज हुई, तथा बाद खरीद से ही वादी का उक्त आराजी पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी उक्त आराजी का खातेदार काबिज काश्त है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 21 वादी को उसके कब्जे काश्त एवं खाते की आराजी से जबरदस्ती ताकत के बल पर बेदखल कर कब्जा करना चाहते है, जिसके लिये प्रतिवादीगण दिनांक 14.06.2004 को उक्त आराजी पर आये और जबरदस्ती उक्त आराजी को हांकने का प्रयास किया, जिसको वादी ने बड़ी मुश्किल से रोका तथा जाते–जाते प्रतिवादीगण वादी को धकमी देकर गये कि उक्त आराजी पर तो हम कब्जा करके ही रहेंगे। वादी गरीब एवं कमजोर व्यक्ति है तथा प्रतिवादीगण ताकतवर एवं प्रभावशाली व्यक्ति है जो जबरदस्ती ताकत के बल पर वादी को उसकी कब्जे एवं खाते की आराजी से बेदखल करना चाहते है, जिसका उन्हे कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, इसलिये वादी को माननीय न्यायालय की सहायता से अस्थाई निषेधाज्ञा की डिकी पारित करवाकर प्रतिवादीगण को उनके उक्त अवैध कृत्य से रूकवाया जाना अति आवश्यक हो गया है। अन्त में वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के

विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित किये जाने का निवेदन किया कि प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त एवं खाते की आराजी खसरा नम्बर 15 रकबा 0.79 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 21 रकबा 1.87 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 191 रकबा 2.92 हैक्टेयर वाके ग्राम जियाहेडी तहसील दीगोद जिला कोटा पर किसी प्रकार से जबरदस्ती ताकत के बल पर कब्जा करने का प्रयास नहीं करे, वादी को उक्त आराजी से बेदखल करने का प्रयास नहीं करे तथा वादी को उक्त आराजी पर शान्तिपूर्वक काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे, प्रतिवादीगण ऐसा न तो स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधी से करवाये। साथ ही अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 में निवेदन किया कि प्रार्थी अपने खाते की भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है तथा उक्त वर्णित मद के अनुसार उक्त भूमि को काश्त करने देने में प्रतिपक्षीगण व्यवधान पैदा करते है। माननीय न्यायालय के अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश के बावजूद भी उक्त भूमि को प्रार्थी को काश्त नहीं करने दे रहे है और उपरोक्त भूमि के उपयोग व उपभोग में प्रतिपक्षीगण बाधा पैदा कर प्रार्थी को उसके लाभ से वंचित कर देना चाहते है। जबकि प्रार्थी ने उपरोक्त भूमि को हांक जोत कर फसल बोने हेतु तैयार कर रखा है। प्रतिपक्षीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है कि प्रतिपक्षीगण ताकत के बल पर एक–साथ मिलकर प्रार्थी को काश्त करने में अवरोध पैदा रके तथा प्रार्थी के अधिकारों पर कुठाराघात करे तथा प्रार्थी को काश्त करने से रोके। अन्त में प्रथम दृष्टया केस तथा सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति स्वयं के पक्ष में होना बताते हुए उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित भूमि पर तहसीलदार दीगोद को रिसीवर नियुक्त किये जाने का निवेदन किया।

4. उक्त आशय का वादपत्र एवं प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 20.02.2013 को प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की, कि प्रतिवादीगण विवादित भूमि पर से वादी को बेदखल नहीं करे तथा वादी के कब्जे–काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत पैदा नहीं करे। प्रतिवादीगण ऐसा न तो स्वयं करे न ही अपने प्रतिनिधी आदि से करावाये। साथ ही दिनांक 08.07.2014 को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 बाबत रिसीवरी स्वीकार किया जाकर मूल खातेदार को नियमानुसार रिसीवरी राशि का भुगतान करते हुए विवादित भूमि का कब्जा संभलाने का आदेश पारित किया।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.02.2013 व आदेश दिनांक 08.07.2014 से असंतुष्ट होकर अपीलांटगण ने दोनो अपीलें इस न्यायालय मे मियाद बाहर प्रस्तुत की है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत दोनो अपीलें सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ।

शेष रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व दोनों पत्रावलीयां वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। दौराने बहस रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व उनके अधिवक्ता को बार–बार आवाज लगाने के बावजूद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व उनके अधिवक्ता उपस्थित उपस्थित नहीं होने से अधिवक्ता अपीलांट की एकतरफा बहस सुनी गई।

6. अधिवक्ता अपीलांट की ओर से अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिकी दिनांक 20.02.2013 की जानकारी दिनांक 22.04.2015 को हल्का पटवारी द्वारा बेदखल करने के लिए कहने पर हुई जिसकी नकल अपीलांट द्वारा दिनांक 22.04.2015 को नकल प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अपीलांट को दिनांक 20.04.2015 को नकल प्राप्त हुई। इस प्रकार जानकारी के अभाव में नकल प्राप्त होने पर अपील अवधि मध्य प्रस्तुत की जा रही है। अन्त में अपील की सर्वप्रथम जानकारी की तिथि एवं नकल मिलने की तिथि से अपील को अवधि मध्य स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण को सूचना दिये बिना ही आदेश दिनांक 08.07.2014 पारित किया है जिसकी सर्वप्रथम जानकारी अपीलांटगण को वादी द्वारा बेदखल करने व बेदखली के आदेश होने की जानकारी दिनांक 02.07.2015 को दी। इसके पूर्व आदेश के संबंध में कोई जानकारी नहीं हुई इस पर जानकारी हांसिल कर नकल हेतु आवेदन पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 06.07.2015 को नकल प्राप्त हुई । इस प्रकार जानकारी की दिनांक से नकल के दिन मुजरा करने पर अपील अवधि मध्य पेश है। अन्त में आदेश दिनांक 08.07.2014 से दिनांक 02.07.2015 तक व नकल के दिन तथा रूपयों के इंतजाम में लगे दिना को कन्डौन किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार किया जाने का निवेदन किया।

7. दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट ने दोनो अपीलों के अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि संक्षेप में वास्तविक तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम जीयाहेडी पटवार हल्का खेडली तंवरान तहसील दीगोद जिला कोटा में कृषि आराजी खसरा नं. 15 की रकबा 0.79 हैक्टर.. खसरा नं. 21 की रकबा 187 हैक्टर खसरा नं. 56 की रकबा 0.59 हैक्टर 61 की 0.50 हैक्टर, 62 की 1.43 हैक्टर, 68 की 0.04 हैक्टर, 69 की 0.98 हैक्टर 156 की 155 हैक्टर, 190 की 1.65 हैक्टर, 191 की 2.92 हैक्टर, 192 की 265 हैक्टर, 220 की 0.09 हैक्टर, 358 की 0.17 हैक्टर, 353/428 की 0. 28 हैक्टर कुल किता 14 कुल रकबा 15.51 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त आराजीयात अपीलांटगण एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 13 के परिवार की पैतृक कृषि आराजीयात है जो भूमि पारिवारिक विभाजन के तहत रामनारायण पुत्र मथुरा लाल जी के नाम खाते में दर्ज हैं । मथुरा लाल जी तीन भाई थे, जिनमें व कन्हैयालाल के वारिसान अपीलांटान व रेस्पोडेन्टान 2 लगायत 13 है । रामनारायण से रेस्पोडेन्ट कम – 1 द्वारा कृषि भूमि उक्त कृषि भूमि में से खसरा नं. 15 की 0.79 हैक्टर 21 की 1.87

हैक्टर, खसरा नं. 191 की 2.92 हैक्टर, भूमि खरीदना बताकर अपने नाम खाते मे दर्ज होना बताकर अपीलांटान व रेस्पोडेंट 2 लगायत 13 के खिलाफ रेस्पोडेन्ट ने एक दावा 188 आर.टी. एक्ट का पेश किया सत्यनारायण ने स्व. रामनारायण पुत्र मथुरा लाल से उक्त भूमि खरीदना बताई है जो रामनारायण जी की पत्नी का भाई अर्थात रामनारायण जी के साले का लडका है जिसने फर्जी तरीके से उक्त विक्रय पत्र करवाया है, स्व० रामनारायण जी द्वारा कभी भी उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट कम 1 को बैचान नही की और रेस्पोडेन्ट कम–1 द्वारा कोई प्रतिफल राशि स्व रामनारायण जी को अदा नही की और उक्त भूमि का कब्जा हस्तांतरण नही हुआ तथा वर्तमान में कब्जा भी अपीलांटान का मौजूद है जो रामनारायण जी के दत्तक पुत्र वसीयत आदि के आधार पर तथा स्व० रामनारायण जी के कोई पुत्र पुत्री औलाद तथा कोई वारिसान नही होने से अपीलांटान स्व० रामनारायण जी के वारिसान में से कब्जे काश्त में चले आ रहे है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण को कोई सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बगैर एक तरफा डिकी पारित कर दी गई जिसमें रेस्पोडेन्ट कम – 1 द्वारा भूमि पर कब्जा नपवाकर संभलाये जाने पर प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश करने पर उसकी पालना से अपीलांटगण को बेदखल करने का प्रयास करने पर उक्त प्रकरण की जानकारी हुई जिस पर अपीलांटान द्वारा तुरन्त अधीनस्थ न्यायालय में नकल निकलवार जानकारी की तिथि से तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिकी से एग्रीव्ड होने से अपीलांटगण निम्न कारणो से यह अपील प्रस्तुत करते हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 20.02.2013 एवं आदेश दिनांक 08.07.2014 विधि न्याय व तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी अपीलांटगण को बिना सूचना व सुनवायी का अवसर दिये बगैर पारित की गई है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । उक्त विवादित भूमि पर आज दिन तक रेस्पोडेन्ट कम–1 का कब्जा काश्त नही रहा है । तथा स्व० रामनारायण जी द्वारा कभी भी कोई बैचान रेस्पोडेन्ट क्रम 1 को नही किया गया है रेसपोडेन्ट कम–1 स्व० रामनारयण जी के साले का लडका है जिसके द्वारा कोई प्रतिफल राशि स्व० रामनारायण जी को अदा नहीं की है और न ही विवादित भूमि का कब्जा रेस्पोडेन्ट कम–1 को दियागया उसका आज दिन तक भी उक्त विवादित भूमि पर कब्जा नही रहा है । तथा विकय पत्र प्रभावशील होने के लिए प्रतिफल राशि अदा किया जाना व विक्रय किये गये भूमि का कब्जा हस्तांतरण होना आवश्यक शर्त है ऐसी सूरत में उक्त भूमि का विकय पत्र कानूनन शुरू से ही प्रभाव शून्य है, जिसके आधार पर हक व अधिकार रेस्पोडेन्ट को प्राप्त नही होते हैं क्योकि उक्त विवादित भूमि पर रेस्पोडेन्ट कम – 1 द्वारा एकतरफा स्टे प्राप्त करने के बावजूद उक्त भूमि पर रिसिवर नियुक्त करवाया गया जो भी अवैध व गैरकानूनी था । तथा रेस्पोडेन्ट कम–1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोईभी साक्ष्य पडौसी काश्तकारों की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया किसी भी प्रकार की कब्जे की साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश नहीं करने की सूरत में 188 आर. टी. एक्ट का दावा मेन्टेनेबल नही रहता है। ऐसी सूरत में निर्णव डिकी अधीनस्थ न्यायालय गैर कानूनी है क्योंकि

रेस्पोडेन्ट कम–1 188 आर.टी. एक्ट की डिकी से अपीलांट को बेदखल करना चाहता है जो तरीका गैर कानूनी है द्य अपीलांट को बेदखल करने के लिए रेस्पोडेन्ट क्रम –1 को 183 आर.टी.एक्ट का दावा करना चाहिए था तथा कब्जा साबित किये बिना अथवा बिना कब्जा के बादी का वाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज न कर डिकी करने में गम्भीर त्रुटि की हो जो हर सूरत में निरस्त किये जाने योग्य है । स्व0 रामनारायण पुत्र मथुरा लाल जी को कोई पुत्र पुत्री वारिसान नही है तथा अपीलांटान मीणा जाति से है जिनके उपर पुराना हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होता है जिसके तहत अपीलांटान स्व रामनारायण जी के वारिसान है जिनके द्वारा दत्तक पुत्र वसीयत आदि भी की गई थी तथा स्व० रामनारायण जी की मौजूदगी में कभी रेस्पो० कम–1 ने आकर उक्त भूमि पर अपनी दावेदारी नही की क्योकि तथाकथित वैधान फर्जी व बनावटी है । रेस्पोडेंट कम–1 का उक्त विवादित भूमि पर कभी कब्जा नही रहा तथा रेस्पोडेन्ट ग्राम जीयाहेडी में कभी रहा भी नही और नही रहता है जो उक्त भूमि को अपने द्य नाम दर्ज हो जाने से तथा उक्त डिकी की आड में भूमि को रहन, बैचान कर खुर्द बुर्द करने पर अमादा है । जिसका उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादी रेस्पो० 1 का आवेदन पत्र स्वीकार रिसीवर की रकम वादी को दिलवाने व वादी को भूमि पर कब्जा दिलवाने का आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया कि उनके द्वारा दावा 188 आर०टी०ए० का वाद डिक्री कर प्रतिवादीगण को पाबन्द किया गया था कि वे वादी के कब्जे में मदाखलत पेदा नहीं करे। जबकि विवादित भूमि वाद पेश करने के समय वादी के कब्जे में नहीं थी और झूठे तथ्यों पर वाद पेश किया गया व अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के बाद रिसीवर कायम करवा दिया और रिसीवर की राशि अपीलाटान द्वारा ही जमा जाती रही है। दावे के निर्णय में रिसीवर के पैसे लौटाने व अपीलान्टान को भूमि से बेदखल कर वादी को कब्जा दिये जाने बाबत कोई निर्देश नही है इस कारण निर्णय की इजराय पेश नहीं की जा सकती है ओर उसकी पालना में अपीलान्टान को बैदखल नहीं किया जा सकता है और न ही रिसीवर की रकम वादी को अदा की जा सकती है। इस कारण पारित किया गया आदेश निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया कि वाद पेश करने से पूर्व से ही अपीलान्टान का विवादित भूमि पर कब्जा चला आ रहा है ओर आज भी कब्जा है । वादी द्वारा अपीलान्टान को किसी भी प्रकार से वैदखल नहीं किया गया है ओर इस प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बेदखली किये जाने का आदेश पारित किया जो विधि विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया कि उपरोक्त विवादत भूमि अपीलान्टान के खाते व कब्जे काश्त की पुश्तेनी भूमि है। जो गलत रूप से बादी के नाम दर्ज हो गयी है। अपीलान्टान के कोई भूमि का बेचान नहीं किया हे तथा बेचान अवैध है इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी को भूमि पर कब्जा नहीं दिलवाया जा सकता इस संबंध में पारित किया गया आदेश अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पारित करने से पूर्व प्रतिवादीगण अपीलान्टान को सूचना दिये बिना व सुनवायी का अवसर दिये बिना ही

आदेश दिनांक 08.07.2014 पारित किया है जो खारिज होने योग्य है। अंत में अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.02.2013 एवं आदेश दिनांक 08.07.2014 निरस्त किये जाने का निवेदन किया साथ ही इजराय की कार्यवाही को समाप्त फरमाए जाने का निवेदन किया । तथा विकल्प में यह भी निवेदन है कि प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड फरमाया जावे कि, अपीलांटगण को पर्याप्त सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय फरमाया जावें ।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी सम्वत् 2056 से 2059 ग्राम जियाखेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा की खाता संख्या 62 मे दर्ज कुल किता 14 कुल रकबा 15.51 हैक्टेयर खातेदार रामनारायण पुत्र मथुरालाल जाति मीना सा.देह दर्ज रिकॉर्ड है तथा इसी जमाबंदी के अंतरण के कॉलम में "नामा0न0 82 दिनांक 07.06.2001 से खसरा नम्बर 15 रकबा 0.79 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 21 रकबा 1.87 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 191 रकबा 2.92 हैक्टेयर पर केता सत्यनारायण पुत्र रामगोपाल जाति मीणा निवासी रंगबाड़ी कोटा का नाम दर्ज खाता करने का आदेश हुआ।" अंकित है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थना–पत्र बाबत रिसीवरी दिनांक 07.06.2005 को संस्थित किया गया। तथा प्रार्थना–पत्र बाबत रिसीवरी दिनांक 14.08.2006 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णित किया जाकर तहसीलदार दीगोद को ग्राम जियाखेड़ी तहसील दीगोद की विवादित भूमि खसरा नम्बर 15 रकबा 0.79 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 21 रकबा 1.87 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 191 रकबा 2.92 हैक्टेयर भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया गया तथा तहसीलदार दीगोद को आदेश दिया गया कि विवादित आराजी को कब्जे राज में लेकर काश्त की उचित व्यवस्था करें। इस प्रकार दिनांक 14.08.2006 को ही वाद के विचाराधीन रहते हुए विवादित भूमि के संबंध मे रिसीवरी की कार्यवाही प्रारंभ हो चुकी थी। मूलवाद में निर्णय व डिक्री दिनांक 20.02.2013 को जारी की गई। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से दिनांक 04.07.2014 को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 08.07.2014 को मूल खातेदार को नियमानुसार रिसीवरी राशि का भुगतान करने व विवादित भूमि का कब्जा संभलाये जाने का आदेश पारित किया गया। इस प्रकार प्रकरण में रिसीवरी के आदेश दिनांक 14.08.2006 से दिनांक 20.02.2013 को मूलवाद में निर्णय व डिक्री पारित होने तक रिसीवरी की कार्यवाही प्रभावी रही है। अपीलांटगण का अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट में यह कथन रहा है कि प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.02.2013 की जानकारी 22.04.2015 को हल्का पटवारी द्वारा बेदखल करने के लिए कहने पर हुई है। अपीलांटगण का यह कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि अपीलांटगण को विवादित भूमि के संबंध में रिसीवरी की कार्यवाही की जानकारी नहीं रही हो। चूंकि

रिसीवरी में विवादित भूमि को कब्जे राज में लिया जा चुका था, जो कि निर्णय दिनांक 20.02.2013 तथा आगे तक जारी रहना प्रतीत होता है। विवादित भूमि पर रिसीवरी होने पर सम्बंधित पक्षकारों को मौके पर पता ही नहीं लगे, यह विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता। ऐसी स्थिति में अपीलांटगण को रिसीवरी की कार्यवाही व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.02.2013 तथा आदेश दिनांक 08.07.2014 की जानकारी होना प्रतीत होता है। अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत दोनो प्रार्थना–पत्रों अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते है। अपीलांटगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.02.2013 के विरूद्ध 2 वर्ष 2 माह 8 दिन बाद तथा आदेश दिनांक 08.07.2014 के विरूद्ध 11 माह 29 दिन बाद अपील प्रस्तुत की है। अपील में हुए गंभीर विलम्ब का कोई पर्याप्त व उचित कारण अपीलांट प्रस्तुत नहीं कर सका। अपीलांट की ओर से दोनो अपीलों में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत दोनो अपीलें गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से खारिज किये जाने योग्य है तथा अपीलांट प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार नहीं होने से हस्तगत अपीलों में आगे ओर गुणावगुण पर विवेचन की आवश्यकता नहीं है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की ओर से प्रस्तुत दोनों अपीलें (अपील संख्या 2015/00181 व अपील संख्या 2015/00137 खारिज की जाती है। न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दीगोद जिला कोटा के प्रकरण संख्या 430/2009 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.02.2013 एवं आदेश दिनांक 08.07. 2014 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

10. निर्णय आज दिनांक 03.08.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मनोज कुमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या– 2015/00181

1. बद्रीलाल आत्मज रघुनाथ जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
2. रामनिवास आत्मज रघुनाथ जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
3. परमानन्द आत्मज रघुनाथ जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
4. रामचरण आत्मज रघुनाथ जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)। मृतक जरिये कायम मुकामान–

   4/1.रामस्वरूप आत्मज स्वर्गीय रामचरण जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेडी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।

   4/2.मनीष आत्मज स्वर्गीय रामचरण जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेडी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।

   4/3.दिलखुश आत्मज स्वर्गीय रामचरण जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेडी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
5. मुकेश आत्मज बद्रीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
6. चेतराम आत्मज बद्रीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
7. गिर्राज आत्मज बद्रीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
8. जोधराज आत्मज बद्रीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
9. ओमप्रकाश आत्मज बद्रीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
10. जगदीश आत्मज बद्रीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।

– अपीलांटगण

बनाम

1. सत्यनारायण आत्मज राम गोपाल जाति मीणा जाति मीणा निवासी अयाना तहसील दीगोद हाल रंगबाडी कोटा।
2. रामकल्याण आत्मज कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
3. रामेश्वर आत्मज कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
4. बृजमोहन आत्मज कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
5. प्रकाश आत्मज कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
6. घनश्याम आत्मज कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
7. सुरेश आत्मज कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
8. बनवारी आत्मज कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
9. महावीर आत्मज कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
10. रामदयाल आत्मज कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
11. दीनदयाल आत्मज कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
12. मृतक कंचन बाई पत्नी रामकल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।

    12/1. प्रकाश पुत्र रामकल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।

    12/2. बनवारी पुत्र रामकल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।

    12/3. घनश्याम पुत्र रामकल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।

    12/4. सुरेश पुत्र रामकल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।

    12/5. अनोख पुत्री रामकल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।

    12/6. श्यामा बाई पुत्री रामकल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।

12/7. धूली बाई पुत्री रामकल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम जिया हेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।

—रेस्पोडेन्टगण

वाद संख्या : 430/09

सत्यनारायण पुत्र रामगोपाल जाति मीणा निवासी अयानी तहसील दीगोद, हाल रंगबाडी कोटा।

—वादी

बनाम

1. बद्रीलाल पुत्र रघुनाथ रामकल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम जियाडेही तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
2. रामनिवास पुत्र रघुनाथ रामकल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम जियाडेही तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
3. परमानन्द पुत्र रघुनाथ रामकल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम जियाडेही तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
4. रामचरण पुत्र रघुनाथ रामकल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम जियाडेही तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
5. रामकल्याण पुत्र कन्हैयालाल रामकल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम जियाडेही तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
6. रामेश्वर पुत्र कन्हैयालाल रामकल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम जियाडेही तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
7. बृजमोहन पुत्र कन्हैयालाल रामकल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम जियाडेही तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
8. मुकेश पुत्र बद्रीलाल रामकल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम जियाडेही तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
9. चेतराम पुत्र बद्रीलाल रामकल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम जियाडेही तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
10. गिर्राज पुत्र रामनिवास रामकल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम जियाडेही तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
11. जोधराज पुत्र रामनिवास रामकल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम जियाडेही तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
12. ओमप्रकाश पुत्र रामनिवास रामकल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम जियाडेही तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
13. प्रकाश पुत्र रामकल्याण रामकल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम जियाडेही तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
14. घनश्याम पुत्र रामकल्याण रामकल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम जियाडेही तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।

15. सुरेश पुत्र रामकल्याण रामकल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम जियाडेही तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
16. बनवारी पुत्र रामकल्याण रामकल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम जियाडेही तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
17. महावीर पुत्र रामेश्वर रामकल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम जियाडेही तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
18. रामदयाल उर्फ कालू पुत्र रामेश्वर रामकल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम जियाडेही तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
19. दीनदयाल पुत्र रामेश्वर रामकल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम जियाडेही तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
20. जगदीश पुत्र परमानन्द रामकल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम जियाडेही तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
21. कंचनबाई पत्नी रामकल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम जियाडेही तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।

—प्रतिवादीगण

अपील का ज्ञापन

1. उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद सख्या 430/09 में न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.02.2013 के विरूद्ध उक्त अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.02.2013 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः उक्त अपील स्वीकार फरमाई जावे।

2. उक्त अपील तारीख 03.08.2023 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से दोनो अपीलों में विद्वान् अभिभाषक श्री ओम प्रजापति उपस्थित होने पर यह आदेश दिया जाता है कि अपीलान्ट की उक्त अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.02.2013 बहाल रखा जाता है।

3. इन अपीलों के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है।

यह डिक्री आज तारीख 03.08.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा